अध्याय- III

शोध प्रविधि एंव प्रक्रिया :

3.0.1 शोध प्रविधि एंव प्रक्रिया: शोध की रूपरेखा के नियोजन को शोध प्रारूप कहा जाता है जो न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है अध्याय में शोध की प्रविधि प्रक्रिया एंव उससे सबन्धित विवरण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है ।

3.0.2 शोध अभिकल्प : प्रस्तुत शोध एंव केस स्टडी से किया गया है जो कि शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक चिखली कलाँ पर एस एम सी कि प्रभावशीलता किस प्रकार से होती है यह देखा गया है ।

3.0.3 जनसंख्या : इस अनुसंधान मे जनसंख्या के पर प्राथमिक के विद्यायल चिखली कलाँ 3 शिक्षक , 1 प्राचार्य एंव ,1 संकुल प्राचार्य से लिया गया है ।

तालिका क्रमांक – 3.1

विद्यालय का नाम	शिक्षकों की संख्या	संकुल एंव विद्यालय प्राचार्य की संख्या
प्राथमिक विद्यायल चिखली कलाँ	03	02

3.0.4 न्यायदर्श का चयन : शोधकर्ता ने न्यायदर्श का चयन अपनी सुविधानुसार किया है क्योंकि कोरोना महामारी के करन अन्य विद्यालय से प्रदत्तों को प्रपात करना संमभावित नहीं था जिस कारण से शोधकर्ता ने के गाँव के प्राथमिक विद्यालय चिखली कलाँ को चुना जंहा से प्रदत्तों का संकलन करने मे आसानी हुयी । अंतः प्रस्तुत शोध मे सोद्देश्य प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है ।

3.0.5 प्रयुक्त उपकरण : शोध कर्ता द्वारा परीक्षण भाषा कि विशेषता को ध्यान मे रखकर अपने शोध हेतु स्व: निर्मित साक्षात्कार (शिक्षकों , प्राचार्य ,संकुल प्राचार्य) के लिए निर्मित किया गया है ।

शोध कर्ता ने इन साक्षात्कार प्रश्नों का निर्माण पर्यवेक्षक एंव अपने सहपाठी कि मदद से किया गया है ।

इस साक्षात्कार के माध्यम से एस एम सी के सदश्यों द्वारा प्राथमिक विद्यालय चिखली कलाँ मे किस प्रकार से कार्य किया जाता है एंव विद्यालय पर क्या प्रभावशीलता पड़ता है , यह

जानना है ।

3.0.6 प्रदत्तों का संकलन : प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधकर्ता ने क्षेत्रीय सिक्षा संस्थान, भोपाल से अनुमति पत्र प्रपात किया । इसके बाद शोध कर्ता ने चयनित विध्यालया मे जाकर प्राचार्य एंव संकुल प्राचार्य से अपने शोध के विषय मे निवेदन करते हुये संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया ।

इसके पश्चात स्व: निर्मित के माध्यम से शिक्षकों प्राचार्य एंव संकुल प्रचर्या के साक्षात्कार लेकर प्रदत्तों का संकलन किया

एस एम सी के सदश्यों के वर्षअनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए एस एम सी कि बैठक के दस्तावेजों कि छायाप्रती निकली गयी । इसमे वर्ष 2011 से 2014 तक कि बैठको के प्रस्ताव एंव निष्कर्ष का कोई प्रदत्त प्राप्त नहीं हुआ । क्योंकि सिर्फ सूचना दी जाती थी इस दिनांक को बैठक है इसके अतिरिक्त कोई प्रदत्त प्राप्त नहीं हुआ है । वर्ष 2015 से 2019 के बीच कि जो दस्तावेजों कि छायाप्रती उपलब्ध हुयी है एंव निष्कर्ष का निर्णय का रिकार्ड मिला है ।

इन प्रदत्तों के संकलन मे 3-4 दिवस का समय लगा है ।

3.0.7 प्रदत्तों के संकलन मे उत्पन्न हुयी कठनाई : कोरोना महामारी के चलते प्रदत्तों के संकलन के दौरान शोध कर्ता को निम्नलिखित कठनाई का सामना करना पड़ा –

- कोरोना महामारी के कारण समय प्राचार्य का न मिलना ।
- शिक्षकों द्वारा साक्षात्कार देने से मना कर देना ।
- विध्यालय के रिकॉर्ड रजिस्टर की छायाप्रति देने से मना कर देना ।

3.0.8 प्रदत्तों का विश्लेषण : प्राप्त प्रदत्त तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक कि प्रदत्तों का विश्लेषण कर उन्हें अर्थपूर्ण नहीं बनाते । सोधकर्ता ने प्रदत्तों का विश्लेषण शिक्षक , प्राचार्य एंव संकुल प्राचार्य द्वारा दिये गए है साक्षात्कार एंव एस एम सी की बैठक के प्रस्ताव निष्कर्ष के रिकार्ड रजिस्टर से प्राप्त छायाप्रति के मधायम से विश्लेषण किया गया है । वर्ष 2011-2014 तक के प्रदत्तों का रिकार्ड न होने के कारण उनका विश्लेषण नहीं हो सका है । इस शोध मे केवल वर्ष 2015-2019 तक के सदश्यों की बैठक के प्रस्ताव एंव निष्कर्ष का विश्लेषण किया गया ।